श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

दिनांक १८.०१.२०२२ को अपराह्न २.०० बजे ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आयोजित विद्यापरिषद् की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की विद्या परिषद् की पंचम बैठक दिनांक 18.01.2022 को अपराह्न 2.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। कोविड-19 महामारी के कारण इस बैठक का आयोजन द्विप्रकारक (ऑफलाइन/ऑनलाइन) उपस्थिति के माध्यम से किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1.	प्रो. मुरलीमनोहर पाठक	अध्यक्ष	(ऑफलाइन)
2.	प्रो. मृदुला त्रिपाठी	बाह्य सदस्या	(ऑनलाइन)
3.	प्रो. बनारसी त्रिपाठी	बाह्य सदस्य	(ऑनलाइन)
4.	प्रो. मनोज कुमार मिश्र	बाह्य सदस्य	(ऑनलाइन)
5.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	सदस्य	(ऑफलाइन)
6.	प्रो. पीयूष कान्त दीक्षित	सदस्य	(ऑनलाइन)
7.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य	(ऑफलाइन)
8.	प्रो. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य	(ऑनलाइन)
9.	प्रो. वीर सागर जैन	सदस्य	(ऑनलाइन)
10.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य	(ऑफलाइन)
11.	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य	(ऑफलाइन)
12.	प्रो. सदन सिंह	सदस्य	(ऑफलाइन)
13.	प्रो. सविता	सदस्या	(ऑफलाइन)
14.	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	सदस्य	(ऑफलाइन)
15.	प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य	(ऑफलाइन)
16.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य	(ऑफलाइन)
17.	डॉ. एस.सुदर्शन	सदस्य	(ऑफलाइन)
18.	प्रो. मारकण्डेनाथ तिवारी	सदस्य	(ऑफलाइन)
19.	प्रो. रामानुज उपाध्याय	सदस्य	(ऑफलाइन)

20. प्रो. नीलम ठगेला	सदस्या	(ऑफलाइन)
21. प्रो. सुधांशुभूषण पण्डा	सदस्य	(ऑनलाइन)
22. प्रो. के. अनन्ता	सदस्य	(ऑफलाइन)
23. प्रो. शिवशंकर मिश्र	सदस्य	(ऑफलाइन)
24. प्रो. मीनू कश्यप	सदस्या	(ऑफलाइन)
25. प्रो. कल्पना जैन	सदस्या	(ऑनलाइन)
26. प्रो. कुलदीप कुमार	सदस्य	(ऑफलाइन)
27. प्रो. धर्मानन्द राउत	सदस्य	(ऑनलाइन)
28. प्रो. प्रभाकर प्रसाद	सदस्य	(ऑनलाइन)
29. डॉ. आदेश कुमार	सदस्य	(ऑनलाइन)
30. डॉ. मनोज कुमार मीणा	सदस्य	(ऑफलाइन)
31. प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य	(ऑनलाइन)
32. प्रो. राम राज उपाध्याय	सदस्य	(ऑफलाइन)
33. प्रो. महानन्द झा	सदस्य	(ऑफलाइन)
34. प्रो. सुजाता त्रिपाठी	सदस्या	(ऑनलाइन)
35. प्रो. ए.एस. आरावमुदन	सदस्य	(ऑफलाइन)
36. प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	सदस्य	(ऑफलाइन)
37. डॉ. अशोक थपलियाल	सदस्य	(ऑनलाइन)
38. डॉ. फणीन्द्र चौधरी	सदस्य	(ऑफलाइन)
39. डॉ. एन.पी. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य	(ऑफलाइन)
40. डॉ. अलका राय	सचिव	(ऑफलाइन)

प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ आचार्य द्वारा प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद् तथा विद्या परिषद् के मनोनीत बाह्य सदस्यों का अभिनन्दन एवं हार्दिक स्वागत किया गया।

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में उपस्थित बाह्य सदस्यों एव अन्य सभी सदस्यों का अभिनन्दन किया गया तथा सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक सुझाव प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिससे विश्वविद्यालय को उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ किया जा सके। कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड़-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से सुचारु रूप से पूर्ण किया जा रहा हैं तथा सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की सत्रीय परीक्षाएँ सम्पन्न कराने एवं नए छात्रों के प्रवेश हेतु समयबद्ध तरीके से किये गये कार्यों को

पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक वर्ग एवं गैर-शैक्षणिक वर्ग के सदस्यों की भूमिका सराहनीय है। कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त कुलसचिव द्वारा विद्यापरिषद् की पंचम बैठक के लिए कार्यसूची को प्रस्तुत किया गया।

संकल्प संख्या ५.१: विद्या परिषद् की दिनांक ०४ अक्टूबर, २०२१ को सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की की गई।

संकल्प संख्या ५.२: विद्या परिषद् की दिनांक ०४ अक्टूबर, २०२१ को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।

दिनांक 04.10.2021 को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों पर क्रियान्वयन के विषय पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई । विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिन विषयों पर कृत कार्यवाही अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग / समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें ।

संकल्प संख्या ५.३: शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत माह अक्टूबर २०२१ से दिसंबर २०२१ तक विद्यावारिधि (पी.एच.डी) छात्रों की सूची विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत (08) शोध छात्रों को जारी अस्थायी प्रमाण-पत्र की सूची की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई । विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय भाषा दक्षता तथा शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी साहित्यिक चोरी रोकथाम विनियम में प्रदत्त सभी नियमों से भी अवगत करवाया जाए ताकि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

संकल्प संख्या ५.४: राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर की उपाधि (तीन/चार वर्ष की अवधि) शास्त्री/बी.ए. योग, प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति की दिनांक १५.११.२०२१ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त तथा विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त आदेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में शास्त्री / बी.ए.योग तीन / चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) के नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शास्त्री प्रथम वर्ष/बी.ए. योग प्रथम वर्ष पंजीकृत छात्रों हेतु लागू किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में प्रदत्त प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए तथा कुछ विभागों द्वारा पाठ्यक्रम सम्बन्धित सुझाये गये प्रस्तावों को

ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम में वांछित संशोधन कर पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु दिनांक 02.11.2021, 08.11.2021 तथा दिनांक 15.11.2021 को ऑफलाईन माध्यम से बैठक आयोजित कर शास्त्री/बी.ए. योग, प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों हेतु लागू किये जाने वाले नवीन संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम मानक प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया की पाठ्यक्रम का मानक प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति यथाशीघ्र बैठक आयोजित कर शास्त्री / बी.ए.योग द्वितीय / तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु पाठ्यक्रम प्रारूप निर्धारित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अध्ययन मण्डल के माध्यम से तैयार शास्त्री / बी.ए. योग, प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ५.५: शिक्षण अधिगम केन्द्र द्वारा छठें चरण में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण विद्या परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत स्थापित शिक्षण अधिगम केन्द्र की निदेशिका द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार अधिगम केन्द्र द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2021 से 23 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न विषयों पर 04 कार्यक्रम आयोजित किये गये । शिक्षण अधिगम केन्द्र द्वारा उपर्युक्त अवधि में आयोजित किये गये कार्यक्रमों की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई ।

संकल्प संख्या ५.६: परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

(क) शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ (द्वितीय सेमेस्टर) के परीक्षा परिणाम की पुष्टि।

शैक्षणिक-सत्र 2020-21 (द्वितीय सेमेस्टर) में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की परीक्षाएं शास्त्री, बी.ए.योग, आचार्य, एम.ए. योग, शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य की परीक्षाएं (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सैमेस्टर की सत्रीय एवं पुनः परीक्षा) ऑनलाइन (वाट्सऐप) के माध्यम से करवाई गई तथा परीक्षा मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

(ख) विद्या परिषद् के निर्णयानुसार शास्त्री, बी.ए.योग, आचार्य, एम.ए. योग, बी.एड., एम.एड्, विशिष्टाचार्य (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सैमेस्टर तथा विद्यावारिधि (सत्रीय पाठ्यक्रम) में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित छात्रों की दिनांक २४.११.२०२१ से २.१२.२०२१ तक आयोजित विशेष परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 4.10.2021 को आयोजित विद्या परिषद् द्वारा संकल्प संख्या 4.16 (6)(2) में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री, बी.ए.योग, आचार्य, एम.ए. योग, बी.एड., एम.एड्, विशिष्टाचार्य (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सैमेस्टर तथा विद्यावारिधि (सत्रीय पाठ्यक्रम) में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित छात्रों की दिनांक 24.11.2021 से 2.12.2021 के दौरान विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया गया, तदुपरान्त

दिनांक 14.12.2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त विशेष परीक्षाओं में सम्मलित हुए छात्रों के परीक्षा परीणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ५.७: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० में प्रदत्त अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय में लागू करने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुसार विद्या परिषद् द्वारा गठित समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 4.10.2021 को आयोजित विद्या परिषद् द्वारा संकल्प संख्या 4.16 (6)(3) में लिए गए निर्णयानुसार संस्कृत विश्वविद्यालय को एकल विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए चिह्नित विषयों पर यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करने के लिए सात (7)विशेष समितियों का गठन किया गया था। सम्बन्धित समितियों द्वारा अपने-अपने विषय से सम्बन्धित बिन्दुयों पर कृत कार्यवाही हेतु बैठकें आयोजित की गई।

विद्या परिषद् द्वारा उपर्युक्त समितियों द्वारा पारित संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को एकल विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रदत्त प्रावधानों को विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के समस्त पीठ प्रमुखों, विभागाध्यक्षों तथा सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाए, इस कार्यशाला में किसी बाह्य विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाए।
विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि उक्त सात समितियों द्वारा पारित संस्तुतियों का विवरण समस्त पीठ प्रमुखों को अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया जाए ताकि सम्बन्धित पीठ प्रमुख अपने-अपने पीठ में नए विभागों / पाठ्यक्रमों को लागू करने के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव तैयार कर सकें।

संकल्प संख्या ५.८: शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ में नियमित एवं अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची विद्या परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से किया गया था तथा सभी पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों का अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धित विभागों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है। छात्रों से सम्बन्धित प्रस्तुत की गई सूची में पाठ्यक्रमों के अनुसार दर्शाय गए छात्रों का प्रवेश विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

संकल्प संख्या ५.९: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्र संख्या D.O.F.No.1-4/2021(QIP) dated 18.11.2021 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में

विश्वविद्यालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ (NEP CELL) की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रावधानों को विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों को मनोनीत करते हुए विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की स्थापना की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ५.१०: शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु दिनांक १०.१२.२०२१ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक नियम परिचायिका 2021-22 में प्रदत्त नियमानुसार विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में दृढ़-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक-विकास के लिए, नियमित एवं संगठित-जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए छात्रकल्याण-परिषद् के गठन की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।
विद्या परिषद् द्वारा यह अनुशंसा भी की गई कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार उपनियम 38 में दर्शाये गए मानदण्डों के अनुपालन में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु छात्र परिषद् का गठन सम्बन्धित प्रावधनों के अनुसार किया जाए।

संकल्प संख्या ५.११: अतिरिक्त सचिव, (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य प्रवेश परीक्षा (CUCET) के संबंध में परीक्षा आयोजित करने के संबंध में बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित प्रपत्र विद्या परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

विद्या परिषद् के सदस्यों को अवगत करवाया गया कि अतिरिक्त सचिव, (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलायें जा रहें पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (CUCET) के माध्यम से N.T.A. द्वारा आयोजित करने से सम्बन्धित विषय पर दिनांक 22.11.2021 को समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पारम्परिक विषयों / आधुनिक विषयों पर आधारित संस्कृत माध्यम द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई तथा सुझाव दिया गया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पारम्परिक विषयों से सम्बन्धित एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा अन्य दो केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है या पूर्व में निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण तथा प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय एवं सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष को उक्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रेषित किया जा चुका है। परन्तु अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशानिर्देश प्रेषित नहीं किए गए है।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय को यथाशीघ्र एक पत्र प्रेषित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। विद्या परिषद् द्वारा गहन विचार-विमर्श के पश्चात् तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पारम्परिक विषयों में प्रवेश सम्बन्धी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि यदि CUCET के माध्यम से N.T.A. द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के आयोजन में कोई कठिनाई आई तो विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु समस्त पाठ्यक्रमो में प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित विषयों पर वांछित कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

<u>संकल्प संख्या ५.१२</u>: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित अध्यादेश (Ordinances) विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश/नियम तैयार कर कार्य करने के लिए कार्य परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 13.11.2020 में लिये गये निर्णयों के अनुसार गठित सम्बन्धित समिति की दिनांक 24.12.2021 एवं 30.12.2021 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित विषयों पर तैयार अध्यादेश प्रस्तुत किये गये है:-

1. School Board (Under Section 17(3) of the Act
2. Board of Studies (Under Section 18(2) of the Act

विद्या परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त तथा उपर्युक्त अध्यादेशों को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>संकल्प संख्या ५.१३</u>: विभागाध्यक्ष योग विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार योग विज्ञान विभाग के अन्तर्गत विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु तैयार सत्रीय पाठ्यक्रम विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 04.10.2021 को आयोजित विद्या परिषद् की बैठक संकल्प संख्या 4.16 (5) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में योग विभाग में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यावारिधि उपाधि विनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित सत्रीय पाठ्यक्रम की रूप-रेखा एवं अन्य अर्हताओं को निर्धारित करने हेतु विभागीय विद्वानों एवं वाह्य विशेषज्ञों की दिनांक 31.12.2021 को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से बैठक आयोजित की गई। विद्या परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त उद्देश्यों को संज्ञान में लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से योग विज्ञान विभाग के अर्न्तगत योग विषय में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम (पीएच.डी.) संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में पूर्ण की जाएगी।

संकल्प संख्या ५.१४: योग विभाग के अर्न्तगत पृथक् से योग एवं नैचुरोपैथी का एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने तथा बी.ए. एवं एम.ए. (योग) के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु योग विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

योग विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा उक्त विषयों पर पूर्व में लिए गए निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए सर्वसम्मति से निम्नलिखित सुझाव पारित किए:-

1. विभागाध्यक्ष, योग विभाग द्वारा योग विभाग के अन्तर्गत एक वर्षीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (One Year Yoga and Naturopathy P.G. Diploma Course) स्ववित्तपोषित अंशकालीन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) को तैयार करने हेतु योग विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए।

पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन हेतु सम्बन्धित स्थानीय संस्थानों के साथ तालमेल तथा सहमति ज्ञापन पत्र तैयार करने हेतु विभागाध्यक्ष, योग विभाग को अधिकृत किया गया है। योग विभाग द्वारा समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तथा सक्षम संस्थाओं (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय व अन्य) द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

2. कुलसचिव महोदया द्वारा अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख उद्देश्य प्राच्यपद्धति में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रात्साहित करना है। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बी.ए. योग एवं एम.ए. योग में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति एवं कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय बजट में प्रावधान होने तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जाए। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लेखा विभाग के माध्यम से वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प संख्या ५.१५: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट २०२० में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद् की संरचना के अनुसार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में तीन वाह्य सदस्यों को विद्या परिषद् में नामित करने की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद् की संरचना नियम 13(1)(g) के अनुपालन में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में तीन वाह्य सदस्यों को तीन वर्षों के लिए नामित करने की पुष्टि की गई। उनके नाम निम्नानुसार हैं:-

1. प्रो. मृदुला त्रिपाठी
2. प्रो. बनारसी त्रिपाठी
3. प्रो. मनोज कुमार मिश्र

संकल्प संख्या ५.१६: दिनांक ०४, ०५ एवं ०६ जनवरी २०२२ को आयोजित शोध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु शोध मण्डल की बैठक दिनांक 4, 5 एवं 6 जनवरी, 2022 को ऑनलाइन / ऑफलाईन माध्यम से आयोजित की गई थी । शोध मण्डल के समक्ष संबंधित विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। शोध मण्डल द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत्त नियमों के अनुपालन में 102 शोधार्थियों के स्थाई पंजीकरण की अनुशंसा की गई। विद्या परिषद् द्वारा शोध मण्डल की बैठक में पारित संस्तुतियों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय:

संकल्प संख्या ५.१७ (१): पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रस्तुत विषयों के सम्बन्ध में।

क.) कुलसचिव महोदया द्वारा पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रस्तुत विषयों के सम्बन्ध में क्रमानुसार विद्या परिषद् के सदस्यों को अवगत करवाया गया। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रत्येक विषय पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों को संज्ञान में लेते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक पीठ के अन्तर्गत कार्यरत विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध केवल संस्कृत भाषा के माध्यम से ही तैयार कर मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शिक्षाशास्त्र पीठ के अन्तर्गत पंजीकृत शोध छात्र अपना शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु सम्बन्धित डाटा / संदर्भ विवरण अन्य भाषा के आधार पर उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद कर प्रस्तुत कर सकते है। विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि यदि छात्र संस्कृत भाषा में कोई कठिनाई अनुभव करते है तो उनके लिए संस्कृत भाषा दक्षता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन कर उसे दूर किया जाए।

ख.) शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि उपाधि हेतु निर्धारित प्रवेश अर्हता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि उपाधि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रवेश अर्हता यथावत् लागू रहेगी।

संकल्प संख्या ५.१७ (२): विषय विशेषज्ञों की तैयार नवीन सूची की स्वीकृति हेतु।

विभिन्न विषयों के पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति / अन्य विभागीय कार्य हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों / पीठ प्रमुखों द्वारा विशेषज्ञों की नवीन सूची तैयार करने हेतु प्रेषित प्रपत्रों के आधार पर विषय विशेषज्ञों की नवीन सूची को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया और उक्त सूची को कार्य परिषद् से स्वीकृत कराने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

संकल्प संख्या ५.१७ (३): विभागाध्यक्ष जैन दर्शन विभाग द्वारा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभागाध्यक्ष, जैन दर्शन विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् को अवगत करवाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार ही पूर्ण किया गया था तथा सभी विभागों में निर्धारित स्थानों के अनुसार पंजीकृत छात्रों के प्रवेश की पुष्टि की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सम्बन्धित विभागों द्वारा गहन अध्ययन किया जाए तथा अपेक्षित संशोधन एवं नवीनीकरण हेतु अपने सुझाव शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संकल्प संख्या ५.१७ (४): पृथक् से क्रीड़ा विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रभारी खेल-कूद द्वारा प्रस्तुत मौखिक प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति इस विश्वविद्यालय में भी क्रीड़ा विभाग की स्थापना की जा सकती है। क्रीड़ा विभाग की स्थापना हेतु प्रभारी खेल-कूद डॉ. मनोज कुमार मीणा द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

संकल्प संख्या ५.१७ (५): विभागाध्यक्ष मानविकी विभाग तथा प्रो. प्रेम कुमार शर्मा, ज्योतिष विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

विभागाध्यक्ष मानविकी विभाग द्वारा विभाग के अन्तर्गत एम.ए. अंग्रेजी पाठ्यक्रम तथा ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत आधुनिक विषयों (गणित विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि) को संचालित करने के मौखिक प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विभाग के अन्तर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभाग अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठकें आयोजित कर विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे। तदुपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को यह भी अवगत करवाया गया कि विभाग की आवश्यकतानुसार नए पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है तथा उस दिशा में निरन्तर प्रयास जारी रहेगा।

विद्या परिषद् द्वारा प्रो. मुरलीधर शर्मा, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ विद्या परिषद् की बैठक सम्पन्न हुई ।

(डॉ. अलका राय)
कुलसचिव (प्रभारी) एवं सचिव

(प्रो. मुरलीमनोहर पाठक)
कुलपति एवं अध्यक्ष